धारा 159 : कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन

(1) यदि आयुक्त, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की यह राय है कि किसी व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन के संबंध में ऐसे व्यक्ति के नाम और किन्हीं अन्य विशिष्टियों का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे, ऐसे नाम और विशिष्टियों का प्रकाशन कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के संबंध में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक धारा 107 के अधीन अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के लिए समय का किसी अपील को प्रस्तुत किए बिना अवसान नहीं हो जाता है या कोई अपील यदि प्रस्तुत की जाती है, का निपटारा कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण—फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संगम की दशा में, यथास्थिति, फर्म के भागीदारों, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, संचिवो और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों या संगम के सदस्यों का नाम प्रकाशित किया जा सकेगा, यदि आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थिति इसे न्यायोचित ठहराती हैं।